1461

पत्रांक :– 2/एम० 7–14/08....................

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

संकल्प

विषय :– बिहार शिक्षा सेवा (शिक्षण उप संवर्ग) के लिए आवश्यकता आधारित पदों की स्वीकृति।

1. सिविल अपील संख्या–8226–8227/12 बिहार राज्य राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.12 को पारित आदेश के आलोक में वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर संकल्प संख्या–687 दिनांक 02.04.2013 द्वारा अधिसूचना संख्या–1855 दिनांक 19.11.2007 को विलोपित करते हुए संकल्प संख्या–1209 दिनांक 07.07.2006 को पुर्नजिवित किया गया है।

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 23.11.2012 को पारित आदेश के अनुपालन में अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) से बिहार शिक्षा सेवा वर्ग–2 में दिनांक 01.01.1977 से संविलयित शिक्षकों को परिणामी लाभ दिया जाना है।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 23.11.12 को पारित आदेश के आलोक में संविलयित शिक्षको को परिणामी लाभ देने तथा बिहार शिक्षा सेवा में पूर्व से कार्यरत पदाधिकारियों के अवरुद्ध प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त करने हेतु अधिसूचना संख्या–698 दिनांक 12.02.14 द्वारा बिहार शिक्षा सेवा नियमावली'–2014 अधिसूचित की गयी है।

3. अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) से बिहार शिक्षा सेवा वर्ग–2 में संविलयित पदाधिकारियों को परिणामी लाभ देने हेतु बिहार शिक्षा सेवा (शिक्षण उप संवर्ग) के लिए पदों का सृजन/उत्क्रमण निम्नवत् किया जाता है :–

दिनांक 01.01.1996					दिनांक 15.11.2000				
1. वेतनमान – 12000 – 16500					**1. वेतनमान – 12000 – 16500**				
(i)	प्राचार्य	–	68	पद	(i)	प्राचार्य	–	68	पद
(ii)	उप प्राचार्य (1985 तक नियुक्त पदा०)	–	136	"	(ii)	उप प्राचार्य	–	136	"
(iii)	वरीय प्राध्यापक	–	1029	"	(iii)	वरीय प्राध्यापक	–	632	"
	योग	–	**1233**	**पद**		**योग**	–	**836**	**पद**
2. वेतनमान – 10000 – 15200					**2. वेतनमान – 10000 – 15200**				
(i)	वरीय व्याख्यता	–	228	पद	(i)	वरीय व्याख्यता	–	121	पद
	योग	–	228	पद		**योग**	–	**121**	पद

E:/Rajesh/Sankalp (Teaching Sub Branch) June 2014-1

4. बिहार शिक्षा सेवा (शिक्षण उप संवर्ग) मरणशील उप संवर्ग है। इस उप संवर्ग के पदाधिकारियों के सेवानिवृति/मृत्यु/प्रोन्नति/पदावनति/बर्खास्तगी इत्यादि कारणों से पद रिक्त होने पर आवश्यकतानुसार पद समाप्त होते जायेगें।

5. वित्त विभाग के माध्यम से प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

6. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– 2/एम० 7–14/08 .... पटना, दिनांक :– ____________/
प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– 2/एम० 7–14/08 1461 **पटना, दिनांक :–** 4/6/14 /

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री बिहार पटना के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सचिव (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ राज्य परियोजना निदेशक/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना /अवर सचिव, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना/निदेशक (जन शिक्षा)/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना/सभी संयुक्त सचिव/विशेष निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (प्रशासन)/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, राजकीय विद्यालय/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

3-6-14

E:/Rajesh/Sankalp (Teaching Sub Branch) June 2014-2